सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

File No.- NCST/ATY-1111/DL/1/2023-APCR   Date : 22.05.2024

सेवा मे,

श्री संजय अरोरा
पुलिस आयुक्त,
पुलिस आयुक्त का कार्यालय,
दिल्ली पुलिस मुख्यालय,,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली - 110001
Email Id: cp.sanjayarora@delhipolice.gov.in

विषय: अभियुक्तो द्वारा जाति सूचक शब्दों से अत्याचार करने तथा जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में - श्री रुडमल मीणा, नांगलोई, दिल्ली का अभ्यावेदन

महोदय,

उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 10.05.2024 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गयी अनुशंसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट/की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें। ।

भवदीय

(एच.आर मीना /H.R. Meena)
अनुसंधान अधिकारी/ Research Officer
Email ID : hari.rammeena@ncst.nic.in

प्रतिलिपि:

श्री रुडमल मीणा
डी -608, नांगलोई ,
कैंप न०2, दिल्ली -110041
दूरभाष : 9350224405
ई-मेल : roormalmeena@gmail.com

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

(1) PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
(2) NIC for uploading

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NCST/ATY-1111/DL/1/2023-APCR

श्री रमेश गुप्ता व उनकी पत्नी भारती गुप्ता द्वारा श्री रूडमल मीना, डी-608, नांगलोई न.-2, नई दिल्ली के साथ गाली- गलोच करने, जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में आयोग की माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता मे दिनांक 10.05.2024 को आयोग मे हुई सिटिंग का कार्यवृत।

सिटिंग की तिथि : 10.05.2024 - 02:30 P.M.
सिटिंग मे उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट

आयोग को श्री रुडमल मीणा, नांगलोई, दिल्ली का आवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होने बताया है कि दिनांक 04.11.2018 को वह दुर्गा मंदिर, नांगलोई जा रहे थे, तभी मंदिर के गेट पर रमेश गुप्ता और उसकी पत्नी भारती गुप्ता द्वारा जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया और गंदी गंदी गाली देते हुये जान से मारने की धमकी दी। प्रार्थी द्वारा इसकी शिकायत थाना नांगलोई में दिनांक 31.08.2022 को की गयी थी तथा इसका डायरी संख्या-1737 है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी ने ए.सी.पी, नांगलोई तथा डीसीपी पुष्पांजलि एन्क्लेव जिला – बाहरी नई दिल्ली को प्रार्थना पत्र दिया है पर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।

2. प्रकरण में आयोग द्वारा 7 दिन की अवधि मे रिपोर्ट मंगाने के किए पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस को दिनांक 01/05/2023 को नोटिस भेजा गया था जिसके संबंध मे दिनांक 29/05/2023 को दिल्ली पुलिस से जवाब प्राप्त हुआ, जिसमे बताया गया कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989 के तहत मामला दर्ज किया गया है जिसकी जाँच शुरुआती चरण में है।

3. प्रकरण में आयोग द्वारा दिनांक 10.05.2024 को पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस के साथ सुनवाई/सिटिंग तय की गयी।

4. प्रकरण की सुनवाई में श्री जिम्मी चिराम, डी.सी.पी. बाहरी जिला और सहयोगी श्री जयपाल सिंह ए.सी.पी, नांगलोई, पुलिस आयुक्त दिल्ली पुलिस की ओर से उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता श्री रूडमल मीना भी आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। प्रकरण मे विस्तृत चर्चा हुई, चर्चा में श्री जिम्मी चिराम, डी.सी.पी. बाहरी जिला व शिकायतकर्ता श्री रूडमल मीना ने प्रकरण से संबन्धित तथ्य प्रस्तुत किए।

Contd......P/2

5. प्रकरण पर सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्न अनुशंसाएं की जाती हैं:-

- जांच में पुष्टि होने पर आरोपी के विरुद्ध शीघ्र कार्रवाई की जाए।
- मामले की जाँच करके चार सप्ताह के अंदर आयोग को रिपोर्ट प्रदान की जाए।
- पीड़ित को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम-1995 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत देय राहत राशि का भुगतान किया जाए।
- पुलिस द्वारा आवेदक एवं उनके परिवार की समुचित सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

प्रकरण में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट/अनुपालन रिपोर्ट 15 दिनों की अवधि मे आयोग को प्रस्तुत की जाए।

(डॉ. आशा लकड़ा)
सदस्य,
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Annexure

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
Case File No.- NCST/ATY-1111/DL/1/2023-APCR

List of participants

Officers from National Commission for Scheduled Tribes

Dr. Asha Lakra (In Chair)
Hon'ble Member

Smt. Miranda Ingudam
Director

Shri R.K. Dubey
Deputy Director

Shri H.R. Meena
Research Officer

Shri Vishnu Datt Saini
Investigator

Officers from O/o Commissioner of Police, Delhi Police

Shri Jimmy Chiram
DCP/Outer North District

Shri Jaspal Singh
ACP/Nangloi

Petitioner

Shri Rudmal Meena